

संचिका सं०-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2)-

330(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
निदेशक, TBDC
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
सभी सिविल सर्जन
सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 16/09/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत **Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 4,58,14,00,000 /- (रुपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 3,05,42,66,667 /- (रुपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 7,63,56,66,667 /- (रुपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय हेतु आवंटन।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-315(7ए०), दिनांक-02.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-315(7ए०), दिनांक-02.09.2026 के द्वारा राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत **Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 4,58,14,00,000 /- (रुपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 3,05,42,66,667 /- (रुपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 7,63,56,66,667 /- (रुपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-315(7ए०), दिनांक-02.09.2026 के द्वारा स्वीकृत राशि रु० 7,63,56,66,667 /- (रुपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्रांक-3530, दिनांक-10.09.2026 के द्वारा विवरणी उपलब्ध कराते हुए राशि रु० 7,63,56,66,667 /- (रुपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

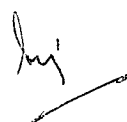
-2-

3- अतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्रांक-3530, दिनांक-10/09/2026 के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु० 4,58,14,00,000/- (रुपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 3,05,42,66,667/- (रुपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 7,63,56,66,667/- (रुपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र के व्यय हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है (राशि रुपये में).-

क्र० स०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (रुपये में)	राज्यांश मद की राशि (रुपये में)	कुल
1	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय -उप शीर्ष-0203- एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड -20-2210-03-110-0203, पी०एफ०एम०एस० कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	1,80,25,00,000	1,20,16,66,667	3,00,41,66,667
		31-06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	1,48,20,00,000	98,80,00,000	2,47,00,00,000
2	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष-0201- एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड -20-2210-03-789-0201, पी०एफ०एम०एस० कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	1,00,62,00,000	67,08,00,000	1,67,70,00,000
		31-06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	22,48,00,000	14,98,66,667	37,46,66,667
3	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र योजना -उप शीर्ष-0202- एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विपत्र कोड- 20-2210-03-796-0202, पी०एफ०एम०एस० कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	5,28,00,000	3,52,00,001	8,80,00,001
		31-06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	1,31,00,000	87,33,332	2,18,33,332
	कुल राशि		4,58,14,00,000	3,05,42,66,667	7,63,56,66,667

4- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आदि Implimenting Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

5- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होगा। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendant होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत



-3-

सरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

6- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

7- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI

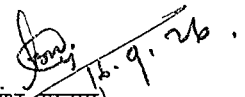
8- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C में उपलब्ध करायेंगे।

9- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

10- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

11- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 330 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक-16/09/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०),/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड (BMSICL)/ इंदिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना /वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

-4-

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/श्री शैलेश कुमार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी— 07/प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

330/7A
16/09/2026

सरकार के अपर सचिव।
Name